कार्यालय नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर।

पत्रांकः– 309/न0पा0टाण्डा–निर्माण कार्य/2019 दिनांक 21 फरवरी 2019

अति अल्पकालीन ई0– निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर को राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से भवन निर्माण हेतु नगरपालिका परिषद टाण्डा के पंजीकृत ठेकेदारों से ई– निविदा प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक 28.2.2019 को सायं 5.00बजे तक निम्न समयसारिणी के अनुसार आमन्त्रित की जाती हैं। कार्य की 2 प्रतिशत धरोहर राशि एफडीआर/एनएससी/टीडीआर के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा के नाम बन्धक होगी, तथा निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सम्मिलित करते हुए) पालिका टाण्डा के खाता सं0–11676797902 भारतीय स्टेट बैंक टाण्डा आईएफएससी कोड– sbin0001785 में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें। निविदा का विस्तृत विवरण टेंडर प्रपत्र शर्त आदि उत्तर प्रदेश की ई–प्रिक्योरमेंट की बेवसाईट e-tender up.nic.in से प्राप्त किये जा सकतें हैं। ई निविदा की समस्त कार्यवाही उक्त बेवसाईट के माध्यम से ही पूर्ण की जाएगी। किसी भी ई निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करनें का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा में निहित होगा। निविदा खोले जाने वाली दिनांक को सार्वजनिक अवकाश अथवा विषम परिस्थिति होनें की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में खेली जाएगी। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना/जानकारी हेतु बेबसाईट को लगातार देखते रहें।

ई– निविदा समयसारिणी(e-tender up.nic.in)

कमांक	विषय	दिनांक व समय
1	वेबसाईट पर ई– निविदा प्रकाशन	22.2.2019 को प्रातः 10 बजे से
2	ई–निविदा डाउनलोड/अपलोड	22.02.2019 को प्रातः 10 बजे से
3	ई–निविदा डाउनलोड/अपलोड की अन्तिम तिथि	27.02.2019 सायं 5 बजे तक
4	प्राप्त ई निविदाओं को खोलना	28.2.2019 को प्रातः 11 बजे से
5	कार्यो के निविदा स्कैन,अनेटस्टमनी,निविदा शुल्क की मूल प्रति आदि जमा करना	27.2.2019 को समय 3 बजे से

शर्तेः–

1– किसी भी विवाद की स्थिति में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद टाण्डा का निर्णय अंतिम होगा और सम्बन्धित फर्म को मान्य होगा।

2– किसी भी विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र जनपद रामपुर होगा ।

3– ठेकेदार को भुगतान पालिका की आर्थिक स्थिति अनुसार ही किया जाएगा। निविदादाता का जीएसटी में पंजीकरण आवश्यक है। जी0एस0टी0 सम्बन्धी बाउचर जमा करनें पश्चात प्रथक से मॉग करनें पर पालिका द्वारा जी0एस0टी0 का नियमानुसार भुगतान देय होगा ।

4– अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी टेण्डर के साथ अपलोड होनें पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

5– शा0सं0 622/23–12–2012 आडिट/08 टीसी दिनांक 8.6.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम निविदा पर 0.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम निविदा पर 1.00 की दर से अतिरिक्त गारण्टी मनी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

6– सशर्त निविदा मान्य न होगी।

7– निविदादाता को 2 प्रतिशत धरोहर राशि की एफडीआर/एनएससी/टीडीआर की ओरीजनल कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा। जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर के नाम बंधक होगी।

8– ई निविदादाता को ई निविदा प्रपत्र के साथ 100.00 का नान जूडिशियल स्टाम्प पर शपथपत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(दीपक कुमार शाह)
अवर अभियन्ता

(राकेश सिंह राना)
अधिशासी अधिकारी

(महनाज जहॉ)
अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर।

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1.अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर
2. सम्पादक दैनिक आज मुरादाबाद को इस आशय से कि वह उक्त सूचना का कम से कम स्पेस में सुस्पष्ट स्थान पर प्रकाशन उपरान्त भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करें ।
3. प्रभारी एन0आई0सी0 रामपुर को सीडी सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना का अपलोड करनें का कष्टकरें।
4.नजारत नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5.कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

अधिशासी आधिकारी
नगरपालिका परिषद टाण्डा